न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला—जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल,आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 39 / 2021

प्रार्थीगण

1. गोपीराम पुत्र हंजारी
2. छगनाराम पुत्र हंजारी
3. सोबला पुत्र हंजारी जातियान नाई निवासीयान कोडी चौपावतान तहसील रानीवाडा जिला—जालोर

अप्रार्थीगण

1. कृष्ण पुत्र गणेशा
2. काना पुत्र पुनमा
3. काला पुत्र मोती
4. छगना पुत्र हंसा
5. जेता पुत्र कस्तुरा
6. जीवाराम पुत्र दीपाराम
7. ढपीदेवी पत्नि सोनीया
8. दरगा पुत्र लालीया
9. दिनेश पुत्र गणेशा
10. नारणा पुत्र किस्तुरा
11. पारसा पुत्र गणेशा
12. पीरा पुत्र पुनमा
13. बगदाराम पुत्र छोगाराम
14. बादली पत्नि किस्तुरा
15. बाबुराम पुत्र हंसा
16. भोमा पुत्र हंसा
17. मेहता पत्नि लालीया
18. रतना पुत्र मोती
19. रमेश पुत्र हंसा
20. राजाराम पुत्र दीपाराम
21. लीला पुत्र लालीया
22. लीलाराम पुत्र छोगाराम
23. शंकरा पुत्र मोती
24. सांवला पुत्र मोती जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासीयान कोडी चौपावतान तहसील रानीवाडा
25. भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा
26. शाखा प्रबंधक युनियन बैक ऑफ इंडिया शाखा भीनमाल जिला—जालोर

अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :—

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री अमृत कटारिया।
2. अप्रार्थी संख्या 1, 2 से 6, 13, 15, 18, 20, 24 की ओर से अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित उपस्थित।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:50:11 IST
Reason: SelfAttested

:: निर्णय ::

दिनांक — 17.05.2022

1. प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी मौजा कोडी चौपावतान में खसरा नंबर 664 रकबा 2.94 हेक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी आराजी खसरा नबंर 664 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक या रेकर्डेड रास्ता नहीं है। उक्त रास्ते के अभाव में हमारी आराजी में काश्त करने व कृषि उपकरण व साधन लाने ले जाने में भारी कठिनाई आ रही है।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—जालोर

इस कारण सही रूप से काश्त भी नहीं कर पा रहे है। हमारी उक्त आराजी में आवागमन हेतु रास्ते की आत्यधिक आवश्यक हैं कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं होने से प्रार्थीगण की आराजी खसरा नबंर 664 रकबा 2.94 हेक्टेयर आवागमन हेतु निकटतम दुरी से रास्ता दिलवाया जाना न्याय हित में आवश्यक है।

2. प्रार्थीगण की आराजी खसरा नबंर 664 रकबा 2.94 हेक्टेयर में आवागमन हेतु खसरा नबंर 668, 669, 670 के खातेदारो से मौका फर्द मे दर्शित प्रस्तावित रास्ता अनुसार रास्ता दिया जाना उचित है। मौका फर्द दिनांक 30.9.2021 के अनुसार खसरा नबंर 670 रकबा 0.2380 हेक्टेयर में से 50 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर, खसरा नबंर 669 रकबा 0.28 हेक्टेयर में से 40 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा क्षेत्रफल 160 वर्गमीटर, खसरा नबंर 668 रकबा 0.59 हेक्टेयर में से 40 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा क्षेत्रफल 160 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल 520 वर्गमीटर अर्थात 0.052 हेक्टेयर रास्ता दिया जाना प्रस्तावित होने पर 0.052 हेक्टेयर की ग्राम कोडी चौपावतान की डी. एल.सी. वैल्यु 469910/— रूपये अनुसार प्रतिकर की दुगुनी राशि रूपये 48870/—रूपये की डी.एल.सी. वैल्यु होती है। जो प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 से 24 को देने हेतु तत्पर है। जमाबंदी राजस्व रेकर्ड अनुसार उक्त मौजा कोडी तहसील रानीवाडा के खसरा नबंर 668, 669, 670 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 से 24 है। प्रार्थीगण उक्त खसरा नबंर 668, 669, 670 के खातेदारान को नियमानुसार प्रतिकर देने के लिये तैयार है।

3. प्रार्थीगण को उक्त अप्रार्थी संख्या 1 से 24 की खातेदारी मौजा चितरोडी तहसील रानीवाडा के खसरा नबंर 670 रकबा 0.2380 हेक्टेयर में से 50 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर, खसरा नबंर 669 रकबा 0.28 हेक्टेयर में से 40 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा क्षेत्रफल 160 वर्गमीटर, खसरा नबंर 668 रकबा 0.59 हेक्टेयर में से 40 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा क्षेत्रफल 160 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल 520 वर्गमीटर अर्थात 0.052 हेक्टेयर रास्ता हल्का पटवारी व हल्का आर.आई. की रिपोर्ट व तहसीलदार रानीवाडा की बिन्दुवार की रिपोर्ट में अंकित प्रस्तावित अनुसार रास्ता प्रार्थीगण की आराजी खसरा नबंर 664 तक दिलवाने के आदेश फरमावें।

4. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथीगणों का नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी संख्या 7 से 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 26 बावजुद नोटिस तामील होने से अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एक पक्ष कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 6, 13, 15, 18, 20, 24 की ओर से जवाब हेतु 10 अवसर देने के उपरांत जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया।

5. प्रतिवादी संख्या 25 राजपेरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण गोपीराम वगैरा पुत्र हंजारी कौम नाई निवासी कोडी चौपावतान के खसरा नबंर 664 रकबा 2.94 हेक्टेयर के खातेदारान है। इस खसरे में पहुचने के लिए सरकारी कटान रास्ता नहीं है। इन्हे मार्ग की अत्यधिक आवश्यकता है। उपरोक्त खसरा नबंर के आवागमन हेतु नजदीकतम सरकारी कटान रास्ता खसरा नबंर 941 भुमि किस्म गैर मुमकीन रास्ता है। उक्त खसरा [illegible] हेतु प्रस्तावित रास्ता के मध्य आने वाले खसरा नबंर 940, 671, 670, 669 व 668 है। प्रस्तावित मार्ग खसरा नबंर 670 में लम्बाई 50 मीटर व चौडाई 4 मीटर है। जिसकी क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर है। खसरा नबंर 669 में लम्बाई 40 मीटर व चौडाई 4 मीटर है। जिसका क्षेत्रफल 160 वर्गमीटर व खसरा नबंर 668 में लम्बाई 40 मीटर व चौडाई 4 मीटर है। जिसका क्षेत्रफल 160 वर्गमीटर है। इस प्रकार तीनों खसरों में रास्ते का कुल क्षेत्रफल 520 वर्गमीटर अर्थात 0.0520 हेक्टेयर है। इनकी वर्तमान डी. एल. सी. दर 469910 प्रति हेक्टेयर है। जिसमें कुल प्रतिकर राशि 0.0520 गुणा 469910 बराबर 24435 रूपये की

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:50:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला-जालोर

दुगुनी राशि 48870 रूपये बनती है। प्रस्तावित मार्ग जो संलग्न नक्शें में लाल डोटेड से दर्शाया गया है, में कोई निर्माण कोई संरचना, वृक्षादि, पहाड, नाडी नही है।

6. हमने प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 25 द्वारा प्रस्तुत जवाव व दस्तावेज का अवलोकन किया एवं बहस के तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण का खेत के खसरा नम्बर 664 रकबा 2.94 हैक्टेयर मौजा कोडी चौपावतान की जमावंदी संवत 2076 से 2079 के खाता संख्या 62 में दर्ज है। तथा मौजा कोडी चौपावतान की जमावंदी के खाता संख्या 243 में खसरा नम्बर, 668, 669, 670 रकवा कमश 0.59, 0.28, 0.23 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 1 से 24 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 25 की और से जवाव मे खसरा नम्बर के अलावा कोई रास्ता नजदीकतम नही है। तथा खसरा नम्बर 668, 669, 670 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 से 24 द्वारा उक्त रास्ता देने के संबंध में न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति नही की गई तथा न ही कोई खण्डन किया । तहसीलदार रानीवाडा ने अपने जवाब में प्रार्थीगण को खसरा नवंर 670 में लम्वाई 50 मीटर व चौडाई 4 मीटर ,खसरा नवंर 669 में लम्वाई 40 मीटर व चौडाई 4 , खसरा नबंर 668 में लम्बाई 40 मीटर व चौडाई 4 मीटर कुल क्षेत्रफल 520 वर्गमीटर अर्थात 0.0520 हेक्टेयर बताया गया है। जिसकी डी0एल0सी0 दर 469910 रूपये प्रति हैक्टेयर दर्शाई है। उक्त तथ्यो के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

–: आदेश :–

7. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 664 में से आवागमन हेतु खसरा नम्बर 668, 669, 670 मे सें रास्ता दिया जाता है। जिसमें खसरा नवंर 670 में लम्वाई 50 मीटर व चौडाई 4 मीटर, खसरा नबंर 669 में लम्बाई 40 मीटर व चौडाई 4 मीटर , खसरा नबंर 668 में लम्बाई 40 मीटर व चौडाई 4 मीटर है। उक्त तीनों खसरों में रास्ते का कुल क्षेत्रफल 520 वर्गमीटर है। जो आगे खसरा नम्बर 941 किस्म गैर मुमकिन रास्ता से जोडता है। खसरा नम्बर 668, 669, 670 की डी.एल.सी दर 469910 रूपये प्रति हेक्टेयर दर्शाई है। उक्त दर या वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर की दर में वृद्वि हो तो उसकी दुगुनी प्रतिकर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट अप्रार्थी सख्या 1 से 24 के हिस्से अनुसार अदा करने हेतु प्रार्थीगण से मंगवाकर भुगतान करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा डिमाण्ड़ ड्राफ्ट से अप्रार्थीगण के नाम जारी करवा कर पेश करने पर अप्रार्थी संख्या 1 से 24 को हक हिस्से अनुसार प्रतिकर की राशि का भुगतान करे तथा भुगतान की प्राप्ति इस न्यायालय को प्रस्तुत करे। तत्पश्चात तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा अपने जवाब मे प्रस्तुत राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से मार्क खसरा नबंर 670 में लम्बाई 50 मीटर व चौडाई 4 मीटर, खसरा नबंर 669 में लम्बाई 40 मीटर व चौडाई 4 मीटर , खसरा नबंर 668 में लम्बाई 40 मीटर व चौडाई 4 मीटर कुल क्षेत्रफल 520 वर्गमीटर का राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज करें तथा उक्त रास्ते की नक्शा लट्ठा मे तरमीम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार रानीवाड़ा को पालना हेतु भेजी जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:50:11 IST
Reason: SelfAttested

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला–जालोर

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 17.05.2022 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर